राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

आदेश

S.B.Criminal Writ Petition No. 762/2018

Vishambhar Dayal Bansal S/o Shri Ramswaroop, Aged About 60 Years, R/o Hatila Ki Chhatri, Karauli, Tehsil And District Karauli (Rajasthan)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Secretary, Department Of Homes, Secretariat, Jaipur
2. The Director General Of Police, Rajasthan, Jaipur, Jaipur
3. The Inspector General Of Police, Range Bharatpur (Rajasthan), Rajasthan
4. The Superintendent Of Police, Karauli, District Karauli., Karauli
5. The Station House Officer, Police Station, Karauli, District Karauli

----Respondents

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा।
लोक अभियोजक श्री प्रशांत शर्मा।

:: आदेश दिनांक :: 30.4.2019

याची की ओर से इस याचिका की शीघ्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 11367/2019 में अंकित तथ्यों एवं योग्य अधिवक्ता

याची द्वारा प्रस्तुत किए गये तर्को की रोशनी में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

याची की ओर से पुलिस थाना कोतवाली, करौली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 79/2018 के मामले में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, करौली (आरोप पत्र संख्या 104/2018) में विचाराधीन सेशन प्रकरण संख्या 46/2018 के क्रम में चाहे गये अनुतोष बाबत सुना गया।

याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि इस प्रक्रम पर वे इस रिट याचिका में चाहे गये संपूर्ण अनुतोष पर बल नहीं देते हैं। उनका मात्र यही कथन रहा कि अनुसंधान अधिकारी को निर्देशित किया जावे कि धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जो अनुसंधान शेष है उसे पूर्ण कर मय नार्को टेस्ट की रिपोर्ट/परिणाम अनुसंधान सामग्री के न्यायालय में प्रस्तुत करे।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रकट किया कि संबंधित अनुसंधान अधिकारी आदेशित समयावधि में अनुसंधान परिणाम न्यायालय में प्रस्तुत कर देंगे।

दोनों पक्षों के तर्को। पर विचार किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर मनन किया गया।

याची की ओर से मूल रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा प्रकरण का विचारण चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में परिवादी की ओर से नार्को टेस्ट की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 29.6.2018 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर संबंधित अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया कि नार्को टेस्ट की रिपोर्ट/परिणाम न्यायालय में प्राप्त नहीं होने से उपलब्ध नहीं करवाई गई। जबकि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब के पैरा संख्या–23

में नार्को टेस्ट होना व रिपोर्ट प्राप्त होना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुसंधान अधिकारी को नार्को टेस्ट रिपोर्ट/परिणाम मय अनुसंधान सामग्री न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब के पैरा संख्या–23 में नार्को टेस्ट होना एवं उक्त रिपोर्ट अभियोजन पक्ष से समर्थित होना अंकित किया गया है एवं दूसरी ओर नार्को टेस्ट की रिपोर्ट/परिणाम की प्रति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश से नार्को टेस्ट की रिपोर्ट/परिणाम आरोप पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत होना नहीं पाया गया है।

ऐसी स्थिति में इस फौजदारी रिट याचिका में चाहे गये अनुतोष एवं मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योग्य लोक अभियोजक के मार्फत संबंधित अनुसंधान अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि इस मामले में धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत विचाराधीन अनुसंधान एक माह में पूर्ण करे तथा नार्को टेस्ट की रिपोर्ट/परिणाम को उक्त अवधि में संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करे।

उपरोक्त निर्देश के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

एम शर्मा/36